परमजीत सिंह से पहले, जे।

सैन जे ईवकुम एआर - याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो - प्रतिवादी

2012 की सीआरआर संख्या 151

अप्रैल 01,2013

दंड प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 401 - भारतीय दंड संहिता, धारा 471 और 120-बी - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - S.13(l)(d), 19(3) के साथ पठित S.l(2) - याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(l)(d) के साथ पठित S.471 के तहत और S.13(l)(d) के साथ पठित S.471 के तहत अपराध का आरोपी याचिकाकर्ता- आरोप तय किया गया - आरोप तय करने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका - विवाद कि आरोप तय करने को सीआरपीसी और इसलिए पुनरीक्षण आदेश - आयोजित, कि आरोप तय करने का आदेश एक वादकालीन आदेश था, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) के तहत वर्जित इस तरह के आदेश के खिलाफ संशोधन - याचिका खारिज कर दी गई।

माना जाता है कि धर्मबीर खट्टर के मामले (सुप्रा) में, उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों विशेष रूप से राज्य बनाम नवजोत संधू और अन्य, (2003) 6 एससीसी, 641, और सत्य नारायण शर्मा के मामले (सुप्रा) पर चर्चा करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोप तय करने का आदेश एक वादकालीन आदेश है और आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ संशोधन पीसी अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) के तहत वर्जित है। अनुर कुमार जैन के मामले (सुप्रा) में दिल्ली 1 लीग कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी विभिन्न निर्णयों पर विस्तार से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पीसी अधिनियम के तहत तैयार किया गया आरोप एक वादकालीन आदेश है, इस तरह के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण पीसी अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) के तहत वर्जित है।

(पैरा 10)

विकास शन्ना, एडवोकेट, श्री एसएस नरूला, एडवोकेट, याचिकाकर्ता के लिए।

पाँच.पाँच. संधू, सीबीएल के लिए स्थायी वकील

परमजीत सिंह, जे.

2012 का सीआरएम नंबर 6140

(एक) Crl. Mise, आवेदन की अनुमति है। अनुलग्नक पी/10 से पी/19 आर्क को रिकॉर्ड में लिया गया।

2012 की सीआरआर संख्या 151

(दो) 'दिनांक 04.11.2011 (अनुलग्नक पी/1), दिनांक 26.11.2011 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) द्वारा तैयार किए गए आरोप पत्र और दिनांक 05.12.2011 (अनुलग्नक पी/3) के तहत एफआईआर संख्या 2 (ए) 2005 दिनांक 16.02.2005 में दिनांक 05.12.2011 (अनुलग्नक पी/3) के दस्तावेजों की गैर-आपूर्ति के संबंध में आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 1 (2) के साथ पठित धारा 1 (2), (इसके बाद पीसी अधिनियम के रूप में संदर्भित) पुलिस स्टेशन सीबीआई, एसीयू-IX, नई दिल्ली में दर्ज किया गया है।

(तीन) लरियाना राज्य में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के कार्यान्वयन के लिए आसानी के संक्षिप्त तथ्य हैं। "हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परी साध" (एचपीएसपीपी) के नाम से जानी जाने वाली एक सोसायटी का गठन किया गया। आरोपी संजीव कुमार वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में एचपीएसपीपी के

एसपीडी रहे। एसपीडी के रूप में, डीपीईपी के तहत की जा रही विभिन्न गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे और जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) द्वारा की गई सभी खरीद को मंजूरी दी। आरोप है कि संजीव कुमार, श्रीमती किरण मिश्रा, उप निदेशक मीडिया और राज कुमार शर्मा (सरकारी दबंग) व अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर विभिन्न वस्तुओं की खरीद में अनियमितता की। यह भी आरोप है कि आरोपी कुमार ने डीपीईपी कार्यक्रम के तहत एलसीडी प्रोजेक्टर की खरीद के लिए 3,51,900 रुपये की मंजूरी दी। यह भी आरोप लगाया गया है कि संजीव कुमार ने किरण मिश्रा, उनके अधीनस्थों और राज कुमार शर्मा आदि जैसे निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश के तहत फर्जी तरीके से बोलियां लगाकर एलसीडी परियोजना हासिल की और उन्हें वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया और निजी व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के एकमात्र इरादे से उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

(चार) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 120-बी के साथ पठित धारा 471 1PC और धारा 13 (1) (डी) के तहत अभियुक्त द्वारा अपराधों के कमीशन का एक प्रथम दृष्टया मामला खोजना

अभियुक्त विडक के विरुद्ध दिनांक 04.11.2011 के आदेश के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया (संलग्नक पी/एल) इसलिए, यह आपराधिक पुनरीक्षण।

(पाँच) शुरुआत में, सीबी 1 के विद्वान वकील ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि पीसी अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) के संदर्भ में, कोई भी अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा किसी भी पूछताछ, मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित वादकालीन आदेश के संबंध में संशोधन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। यह भी तर्क दिया गया था कि आरोप तय करने और आरोप तय करने का आदेश इंटरलोक्यूटरी आदेश है जिसके खिलाफ कोई संशोधन उच्च न्यायालय में नहीं है।

(6) इससे पहले कि मैं पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा गुण-दोष के आधार पर उठाए गए अन्य तर्कों पर विचार करूं, मैं अनुरक्षणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति का निर्णय करना उचित समझता हूं।

(सात) सीबीआई के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि पीसीए अधिनियम की धारा 19 (3) के शुरुआती शब्दों से संकेत मिलता है कि यह एक गैर-बाध्यकारी तकनीक है और इसलिए सीआरपीसी या पीसी अधिनियम की धारा 22 और 27 के प्रावधानों को यह दिखाने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है कि संशोधन बनाए रखने योग्य है। सत्य नारायण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य (1) पर भरोसा किया गया है, जहां पीसीएक्ट के तहत विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के संदर्भ में धारा 19 (3) (सी) के दायरे पर 1 साल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया है और यह माना गया है कि विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, यहां तक कि उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 1 लीग कोर्ट द्वारा भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीबीआई के विद्वान वकील ने ***2008*** की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या ***340*** में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया**,** जिसका शीर्षक धर्मबीर खट्टर बनाम सीबीआई था, जिसका शीर्षक 05.05.2009 को दिया गया था (2) ओम प्रकाश बनाम सीबीएल ***(3),*** और अनुर कुमार जैन बनाम सीबीआई ***(4),*** अपने तर्क को साबित करने के लिए।

(आठ) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में पीसी अधिनियम के तहत आरोप पर एक आदेश और आरोप तय करने के आदेश को सीआरपीसी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य ***(5)*** पर भरोसा किया जाना चाहिए कि ऐसा आदेश पुनरावृत्ति योग्य है।

(एक) (2001) 8 एससीसी 607

(दो) 2009 चतुर्थ (दिल्ली) 657

(तीन) 2010(7) आरसीआर (सीआरएल) 1077

(चार) 2011 (17एस)डीएलटी501

(पाँच) (1977)4 एससीसी 551

(नौ) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया है।

(दस) धर्मबीर खट्टर के मामले (सुप्रा) में, उच्च न्यायालयों और विशेष रूप से राज्य बनाम नवजोत संधू और अन्य (6) और सत्य नारायण शर्मा के मामले (सुप्रा) के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोप तय करने का आदेश एक वादकालीन आदेश है और आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ संशोधन पीसी अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) के तहत वर्जित है। अर्तुर कुमार जैन मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी विभिन्न निर्णयों पर विस्तृत रूप से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पीसी अधिनियम के तहत तैयार किया गया आरोप एक वादकालीन आदेश है, इस तरह के आदेश के खिलाफ संशोधन पीसी अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) के तहत वर्जित है।

(ग्यारह) भारत पारिख बनाम सीबी ***1*** और अन्य ***(7),*** 2012 5 की सीआरआर संख्या 151 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोप के खिलाफ पुन: संशोधन की स्थिरता के मुद्दे पर विचार किया है और निम्नानुसार देखा है: -

> *"16.* उच्च न्यायालय के संबंध में दूसरे प्रस्ताव के संबंध में जे निर्धारित आरोपों को रद्द करने के लिए संहिता की धारा *482* के तहत अपनी शक्तियों को लागू करने के उद्देश्य से अभियुक्त की ओर से या अभियुक्त के कहने पर उत्पादित सामग्री की जांच करने की शक्तियां, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य का नेतृत्व किया जाना चाहिए यदि कोई अभियुक्त आरोप और/या आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है और कोशिश करने का दावा करता है। यह केवल हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, *1992* सीआरआई, एलजे *527* में उल्लिखित असाधारण परिस्थितियों में है, कि न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, लेकिन ऐसा राज्य केवल साक्ष्य के नेतृत्व के बाद ही आएगा, खासकर जब अभियोजन पक्ष ने आरोपों को तैयार करने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश की थी। जैसा कि देबेंद्र नाथ पाधी के मामले (सुप्रा) में देखा गया है, आरोप तय करने के चरण में, रोविंग और मछली पकड़ने की जांच अस्वीकार्य है और ऐसे स्तर पर एक मिनी ट्रायल नहीं किया जा सकता है। आरोप तय करने के चरण में, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया जाना जांच एजेंसी द्वारा पेश की गई सामग्री तक ही सीमित होना चाहिए। आरोपी को साबित करने का मौका मिलेगा
>
> (छः) (2003) 6 एससीसी, 641
>
> (सात) (2008) 10 एससीसी 109,
>
> अदालत के आदेश पर अभियोजन पक्ष द्वारा बाद में पेश किए गए दस्तावेज, लेकिन एक बार आरोप तय हो जाने के बाद कार्यवाही को फिर से खोलने या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *482* के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों को लागू करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। *"*

(बारह)कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं मानता हूं कि तत्काल पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

(तेरह) चूंकि योग्यता के आधार पर तर्कों को भी संबोधित किया गया था, इसलिए मैंने दिनांक 04.11.2011 (अनुलग्न

क पी/1), आरोप पत्र तैयार किए गए विडक आदेश दिनांक 26.11.2011 (अनुलग्नक पी/2) और दस्तावेजों की आपूर्ति न करने के संबंध में आदेश दिनांक 05.12.2011 (अनुलग्नक पी/3) का भी अवलोकन किया है। इसके मद्देनजर, मैं यह देखना चाहूंगा कि इन आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि विशेष न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों पर विवेकपूर्ण तरीके से अपना दिमाग लगाया और एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को केवल जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री को देखना है। विशेष न्यायाधीश के आक्षेपित आदेश अभिलेख और चाप पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर तर्कसंगत हैं और उन्हें अनैतिक/आकस्मिक तरीके से पारित नहीं किया गया है ताकि विचारण को समाप्त किया जा सके।

(चौदह) इसलिए, मैं मानता हूं कि विशेष न्यायाधीश, सीबी 1 द्वारा तय किए गए आरोप के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान संशोधन सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जा सकता है, साथ ही यह भी खारिज कर दिया जा सकता है। तदनुसार ऑर्डक्रकड।

पी.एस. का/वा

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्णवादी के सीमित उपयोग के लि एहैताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयर्ण का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,
हरियाणा